(361)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2547] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2014/अग्रहायण 24, 1936
No. 2547] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2014/AGRAHAYANA 24, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3181(अ)(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसार में, राष्ट्रपति एतदद्वारा यह निदेश देते हैं कि दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन तथा अगले आदेशों तक, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर उपयुक्त सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों तथा का निर्वहन करेंगे ।

[फा. सं. यू-11026/01/2014-यू टी एल]
राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2014

S.O. 3181(E)(E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the appropriate Government or, as the case may be, the State Government under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) and the rules made there under, within their respective Union Territories.

[F. No. U-11026/01/2014-UTL]
RAKESH SINGH, Jt. Secy.

4937 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.